न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(पीठ)

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या–71/2012–13 अन्तर्गत धारा–220 भू–राजस्व अधिनियम

श्रीमती माया लटवाल

बनाम

श्री बलवीर सिंह एवं अन्य

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

एवं

श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

बावत

मौजा ग्राम पदमपुर, पट्टी मोटाढ़ाक,
परगना भावर, तहसील कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल।

आदेश

यह रिव्यू प्रार्थना पत्र निगरानी संख्या–113/2011–12 श्रीमती माया लटवाल बनाम श्री बलवीर सिंह में विद्वान अध्यक्ष, राजस्व परिषद द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 10–07–2013 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है।

हमने अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों में उपलब्ध निर्णयादेशों एवं अभिलेखों का अवलोकन किया तथा निगरानीकत्री को सुना। प्रतिउत्तरदातागण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। मूल वाद धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार, कोटद्वार द्वारा निर्णीत किया गया है जिसमें निगरानीकर्त्री का वादग्रस्त भूमि खाता संख्या–55 हाल खाता संख्या–50 मध्ये 0.352 है0 पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया है। नामान्तरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसके आधार पर अधिकारों का विनिश्चयन एवं स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जाता है। विद्वान सहायक कलेक्टर, कोटद्वार द्वारा अपने आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2012 में इस तथ्य को नजरअन्दाज किया गया है।

अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णयादेश दिनांक 10–07–2013 एवं सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 22 फरवरी, 2012 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार, कोटद्वार द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 18–05–2011 की पुष्टि की जाती है। अवर न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

दिनांकः 16 अप्रैल, 2015

16.4.15

(विजय कुमार ढौंड़ियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।